MINISTRY OF CIVIL AVIATION

DIRECTORATE GENERAL OF CIVIL AVIATION

CORRIGENDUM

New Delhi, the 10th January, 2003

G.S.R. 48—In the Civil Aviation Department (Operations) Recruitment Rules, 2001, published in the Gazette of India, Part-II, Section-3, Sub-Section (i) dated 08-06-2002 at pages 1078 to 1092 vide GSR 212, in the schedule—

the entry against serial No. 1 of the fore-script viz. "(i) These rules may be called the Civil Aviation Department (Operations) Recruitment Rules, 2001" may be corrected to read as "(i) These rules may be called the Civil Aviation Department (Operations) Recruitment Rules, 2002." and the entries under column 2 of the schedule for "(2001)" may be corrected to read as "(2002)" for all posts.

[F. No. A-12018/3/99-E.II]

R.S. KATARIA, Dy. Director of Administration

जल संसाधन मंत्रालय

नई दिल्ली, 17 जनवरी, 2003

सा.का.नि. 49 .—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड, ज्येष्ठ तकनीकी सहायक (यांत्रिक) भर्ती नियम, 1977 को सिवाय उन बातों के अधिक्रांत करते हुए जिन्हे ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड, जल संसाधन मंत्रालय में ज्येष्ठ तकनीकी सहायक (यांत्रिक) के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय भूमिगत जलबोर्ड, ज्येष्ठ तकनीकी सहायक (यांत्रिक) भर्ती नियम, 2003 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पद संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान.**—उक्त पद की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनका वेतनमान वह होगा, जो इससे नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ 2 से स्तम्भ 4 में विर्निदिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि** .—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ (5) से स्तम्भ (14) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता.**—वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति.**—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबन्ध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृत्ति.**—इन नियमों की कोई बात ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों, और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबन्ध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन -सह-ज्येष्ठता या योग्यता के आधार पर चयन अथवा अचयन	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
1	2	3	4	5	6
ज्येष्ठ तकनीकी सहायक (यांत्रिक)	21* (2003) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है)	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख' अराजपत्रित अननुसचिवीय	6500-200-10500 रु.	चयन	30 वर्ष (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 35 वर्ष तक शिथिलनीय। **टिप्पण :**—आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निणार्यक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यार्थियों के लिए विहित की गई हैं)।

सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो
7	8	9	10
नहीं	**आवश्यक :**-किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्था या समतुल्य से यांत्रिक/वैद्युत/बर्माना/खनन/सिविल इंजीनियरिंग/पैट्रोलियम प्रौद्योगिकी में उपाधि या किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या समतुल्य यांत्रिक/वैद्युत/बर्माना/खनन/सिविल इंजीनियरिंग/पैट्रोलियम प्रौद्योगिकी में डिप्लोमा के साथ जल कूप बर्माने में/मशीनरी और उपस्कर का निर्माण और प्रचालन/अनुरक्षण में पांच वर्ष का अनुभव। **टिप्पण : 1**—अर्हताएं अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है। **टिप्पण : 2**—अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित	नहीं	सीधे भर्ती और प्रोन्नति किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष।

	(8)	
	जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती है (हैं) जब चयन के किसी प्रक्रम पर संघ लोक सेवा आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।	

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा
(11)	(12)
50 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा और 50 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा।	प्रोन्नति : केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड में ऐसे कनिष्ठ इंजीनियर जिन्होंने उस श्रेणी में छह वर्ष की नियमित सेवा की है। **टिप्पण :** जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना		भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(13)		(14)
समूह "ख" विभागीय प्रोन्नति समिति प्रोन्नति/पुष्टि पर विचार करने के लिए :		सीधी भर्ती करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।
1. अध्यक्ष, केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड	—अध्यक्ष	
2. निदेशक/उप सचिव, (भूमिगत जल) जल संसाधन मंत्रालय	—सदस्य	
3. निदेशक, (प्रशासन), केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड	—सदस्य	
4. अधीक्षक इंजीनियर (मुख्यालय) केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड	—सदस्य	

[फा.सं. 23/30/98–जी डब्लू-I]

सोहन एस. सैनी, अवर सचिव

MINISTRY OF WATER RESOURCES

New Delhi, the 17th January, 2003

G. S. R. 49.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of the Central Ground Water Board, Senior Technical Assistant (Mechanical) Recruitment Rules, 1977, except, as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment for the post of Senior Technical Assistant (Mechanical) in the Central Ground Water Board, Ministry of Water Resources, namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Central Ground Water Board, Senior Technical Assistant (Mechanical) Recruitment Rules, 2003.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of posts, classification and scale of pay.—The number of the said posts, its classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age limit, qualifications etc.—The method of recruitment to the said post, age limit, qualification and matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (14) of the said Schedule.

4. Disqualifications.—No person,—

(a) Who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of such rule.

5. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time, in this regard.

SCHEDULE

Name of the post	Number of post	Classification	Scale of Pay	Whether selection post or non-selection post
1	2	3	4	5
Senior Technical Assistant (Mechanical)	21* (2003) *Subject to variation dependent on work-load.	General Central Service Group 'B' Non-Gazetted, Non-Ministerial	Rs. 6500-200-10500	Selection

Age limit for direct recruits	Whether benefit of added years of service admissible under rule 30 of the Central Secretariat Service (Pension) Rules, 1972	Educational and other qualifications required for direct recruits
6	7	8
30 years. (Relaxable for Government Servants upto 35 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). (The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for	No	**Essential :** Degree in Mechanical/Electrical/Drilling Mining/ Civil Engineering/Petroleum Technology from a recognised University or institution or equivalent; OR

6	7	8
receipt of applications from candidates in India and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Divisin of Jammu & Kashmir State, Lahaul & Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).		Diploma in Mechanical/Electrical/Drilling/ Mining/Civil Engineering/Petroleum Technology from a recognised University or institution or equivalent with five years experience in water well drilling construction and operation/maintenance of drilling mechinery and equipment. Note-I : Qualification are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in case of candidates otherwise well qualified. Note-II : The qualification regarding experience is relaxable at he discretion of the Union Public Service Gommission in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes if at any stage of selection, the Union Public Service Commission is of the opinion that sufficient number of candidates belonging to these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the post(s) reserved from them.

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation if any	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by deputation/absorption and percentage of the posts to be filled by various methods
9	10	11
No	Two years for direct recruits and promotees	50% by promotion and 50% by direct recruitment.

In case of recruitment by promotion/deputation/ absorption grade from which promotion/deputation/ absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
12	13	14
Promotion : Junior Engineer in Central Ground Water Board with six years regular service in the grade. Note : Where juniors who have completed their qualifying eligibility service are being considered for promotion. their seniors would also be cosidered provided they are not short of the requisite qualifying/eligibility service by more than half	Group 'B' Departmental Promotion Committee for considering promotion/confirmation. 1. Chairman, Central Ground Water Board. —Chairman. 2. Director/Deputy Secretary, (Ground Water), Ministry of Water Resources. —Member	Consultation with Union Public Service Commission necessary while making direct recruitment.

12	13	14
of such qualifying/eligibility service or two years whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying/ eligibility service.	3. Director, (Administration) Cenrtal Ground Water Board. —Member 4. Superintending Engineer (HQ), Central Ground Water Board. —Member.	

[F. No. 23/30/98-GW. I]

SOHAN S. SAINI, Under Secy.

रेल मंत्रालय

(रेलवे बोर्ड)

नई दिल्ली, 16 जनवरी, 2003

आर.बी.ई. सं. 15/2003

सा. का. नि. 50.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए रेल सेवक (अनुशासन और अपील) नियम, 1968 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रेल सेवक (अनुशासन और अपील) पहला संशोधन नियम, 2003 है।

(2) ये सरकारी राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. रेल सेवक (अनुशासन और अपील) नियम, 1968 की, अनुसूची III के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"अनुसूची-III

[नियम 4 और नियम 7 का उपनियम (2) देखें]

मद सं.	रेल सेवकों का वर्ग	किसी रेल सेवक को निलंबनाधीन रखने या शास्ति अधिरोपित करने के लिए सशक्त प्राधिकारी और शास्ति का स्वरूप	अपीली प्राधिकारी
1	2	3	4
1.	रेल सेवक समूह 'क'	राष्ट्रपति-पूर्ण शक्तियां	....
		रेलवे बोर्ड-निलंबन और नियम 6 के खंड (i) से (vi) में विनिर्दिष्ट शास्तियां	राष्ट्रपति
		महाप्रबंधक/अपर महाप्रबंधक जिसे सक्षम प्राधिकारी द्वारा नियमित रूप से तैनात महाप्रबंधक की अनुपस्थिति में महाप्रबंधक के कर्त्तव्यों की देखभाल करने के लिए आदेश दिए गए हैं, महानिदेशक, अनुसंधान, अभिकल्प और मानक संगठन, महानिदेशक, रेलवे स्टाफ कॉलेज, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (जिसके पास अपने संगठनों का स्वतंत्र प्रभार है)—कनिष्ठ प्रशासनिक श्रेणी की चयन श्रेणी के अधिकारियों तक के अधिकारियों सहित, के मामले में निलंबन और नियम (6) के खंड (i), (iii), (iii-क), (iii-ख) और (iv) में विनिर्दिष्ट शास्तियां	राष्ट्रपति
		प्रमुख विभागाध्यक्ष-कनिष्ठ वेतनमान के अधिकारियों की दशा में निलंबन और नियम (6) के खंड (i), (iii), (iii-क), (iii-ख) और (iv) में विनिर्दिष्ट शास्तियां	महाप्रबंधक/अपर महाप्रबंधक जिसे सक्षम प्राधिकारी द्वारा नियमित रूप से तैनात महाप्रबंधक की अनुपस्थिति में महाप्रबंधक के वर्तमान कर्त्तव्यों की देखभाल के आदेश दिए गए हैं।